**राजस्थान सरकार**
**ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग**
**(अनुभाग–5,ग्रामीण विकास)**

क्र प 27(74) ग्राविवि–5/जीकेएन/न्यूनतम मजदूरी/2014–15 जयपुर दिनांक 29 अक्टूबर, 2015

**कार्यवाही विवरण**

विभाग द्वारा क्रियान्वित विभिन्न केन्द्र/राज्य प्रवर्तित योजनान्तर्गत निर्माण कार्यों में नियोजित अर्द्धकुशल/कुशल श्रमिकों की दर निर्धारण के क्रम में दिनांक 08.10.2015 को शासन सचिव, ग्रामीण विकास की अध्यक्षता में बैठक आयोजित हुई, जिसमें निम्न अधिकारी द्वारा भाग लिया गया:–

**1.** श्री सी. एस. राठौड, अतिरिक्त श्रम आयुक्त (आईआर), श्रम विभाग।
**2.** श्री के. सी. मीणा, परियोजना निदेशक, ईजीएस।
**3.** श्री एस. के. अग्रवाल, अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, पंरावि।
**4.** श्री मुकेश महेश्वरी, अधीक्षण अभियंता (प्रो.), पंचायती राज।
**5.** श्री के. के. शर्मा अधीक्षण अभियंता (ग्रावि)।
**6.** श्री विजय कुमार चौधरी, अधीक्षण अभियंता, महात्मा गांधी नरेगा।
**7.** श्री बी. एस. पवार, संयुक्त निदेशक जलग्रहण विकास एवं भू–संरक्षण।

**बैठक के दौरान चर्चा के मुख्य बिन्दु एवं लिए गये निर्णय/निर्देश निम्नानुसार है:–**

1. अधीक्षण अभियन्ता, ग्रावि ने अवगत कराया कि विभाग द्वारा अकुशल श्रमिकों को श्रम विभाग की अधिसूचना अनुसार न्यूनतम मजदूरी दी जा रही है। कुशल श्रमिक (कारीगर) को जिला कलक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला दर निर्णायक समिति द्वारा प्रचलित बाजार दर के आधार पर निर्धारित की गई दर दी जा रही है। इसके अतिरिक्त अधिकांश अर्द्धकुशल श्रमिकों को अकुशल श्रमिक के बराबर मजदूरी दी जा रही है, जिन पर पुनर्विचार आवश्यक है। इस सम्बन्ध में अतिरिक्त श्रम आयुक्त ने यह अवगत कराया कि श्रम विभाग द्वारा जारी अधीसूचना के द्वारा श्रमिकों को दिये जाने वाले मजदूरी की न्यूनतम दर निर्धारित की जाती है। इन दरो पर निर्माण कार्यों हेतु श्रमिक उपलब्ध नहीं हो तो विभाग इन दरों से अधिक दरों का निर्धारण करने के लिए स्वतन्त्र है, परन्तु अधिसूचना में अंकित दरों से कम दर दिये जाने की स्थिति में श्रम विभाग के नियमों का उल्लंधन माना जावेगा।
2. अतिरिक्त श्रम आयुक्त ने यह भी अवगत कराया कि श्रम विभाग द्वारा लगभग प्रतिवर्ष ग्रामीण विकास की योजनाओं (महात्मा गांधी नरेगा को छोडकर) के लिए श्रमिकों अकुशल, अद्धकुशल आदि के देय न्यूनतम मजदूरी दर घोषित की जाती है। वर्ष 2016 के लिए न्यूनतम मजदूरी दर तय करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। इस सम्बन्ध में विज्ञप्ति (04 अगस्त, 2015) जारी कर आवश्यक सुझाव एवं आपत्तियां प्राप्त की जा चुकी है। सक्षम समिति को अनुमोदन होना शेष है, शासन सचिव, ग्राविं ने निर्देशित किया हैं कि श्रम विभाग जब–जब इस तरह की अधिसूचना जारी करे अथवा सक्षम समिति की बैठक आयोजित करें, की सूचना विभाग को भी देवें।

अन्त में सधन्यवाद के साथ समाप्त हुई।

**(के.के. शर्मा)**
**अधीक्षण अभियन्ता (ग्राविं) एवं**
**सदस्य सचिव,**

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग।
3. निजी सचिव, आयुक्त एवं शासन सचिव, पंचायती राज विभाग।
4. आयुक्त श्रम विभाग राजस्थान जयपुर।
5. निदेशक, जलग्रहण विकास एवं भू–संरक्षण विभाग, राजस्थान जयपुर।
6. परियोजना निदेशक, ईजीएस।
7. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, पंराविं।
8. परियोजना निदेशक(मो. एवं मू.) ग्रामीण विकास को विभागीय वेब साईट (rdprd.gov.in) पर अपलोड कराने हेतु।
9. अधीक्षण अभिंयता (प्रो.), पंचायती राज।
10. अधीक्षण अभियंता (ग्राविं)।
11. अधीक्षण अभियंता, महात्मा गांधी नरेगा।
12. रक्षित पत्रावली।

**अधीक्षण अभियन्ता (ग्राविं) एवं सदस्य सचिव,**